

फर्द अहकाम

(नियम 13)

07

GEMS

2020/00007

28.10.2020

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. सुखा

हलका निवलकोट

पुत्र श्री. मिसु जाति. डाढी

निवासी- निवलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.07/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका निवलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निवलकोट के खसरा नंबर 177 रकबा 2500 वर्ग की किस्म भूमि सुखा पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली आदि पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल ने जवाब पेश किया जो शीघ्र पत्रावली किया। पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	<p style="text-align: center;">सुखा</p> <p style="text-align: center;">29/07/2020</p> <p style="text-align: center;">प. निवलकोट</p>

13-8-2020


पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साधल
अनुपास्थित। पचवारी हल्का अनुपास्थित।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साधल
अनुपास्थित। पचवारी हल्का उपास्थित।
गैर साधल को मातृकली चेषित
करते हुए, पत्रावली फेसल सुधार
है। निर्णय अलग से लिखा जाकर
शुभिल पत्रावली है। निर्णय शुल्क
अध्यात्म के सुनाया गया। पत्रावली
फेसल सुधार होकर दाखिल इफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर


प. न. भालू